सं. 1/5/2017-स्था.(वेतन-I)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक : 15 मार्च, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय : 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने की स्थिति में नई उच्चतर योग्ताएं हासिल करने के लिए प्रोत्साहन के संबंध में।

सेवा में शामिल होने के बाद नई उच्चतर योग्ताएं प्राप्त करने वाले केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को रु 2000/- से रु 10000/- तक एक बारगी एकमुश्त राशि के रूप में प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, जैसा कि इस विभाग के दिनांक 09.04.1999 के का.ज्ञा. सं. 1/2/89-स्था.(वेतन-I) एवं अन्य संबंधी कार्यालय ज्ञापनों में प्रावधान है।

2. 7वें केंद्रीय वेतन आयोग में वेतन के अतिरिक्त कर्मचारियों को वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन दरों की समीक्षा की गई है और इसकी रिपोर्ट के पैरा 8.9.11 से 8.9.14 में युक्तिसंगत एवं सरल बनाने का परामर्श दिया गया है।

3. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (डीओई) के दिनांक 25.07.2016 के संकल्प सं. 1-2/2016-आईसी के पैरा 7 में प्रावधान है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर भत्तों (महंगाई भत्ते को छोड़कर) से संबंधित मामले को वित्त सचिव की अध्यक्षता वाली समिति को संदर्भित किया जाएगा और इस पर उस समिति द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने तक इस प्रोत्साहन सहित सभी भत्तों को मौजूदा वेतन संरचना (छठे केंद्रीय वेतन आयोग पर आधारित वेतन संरचना) की वर्तमान दरों पर ही भुगतान करने की अपेक्षा रहेगी, जैसे कि दिनांक 01 जनवरी, 2016 को वेतन में संशोधन नहीं किया गया हो।

4. 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर और वित्त सचिव की अध्यक्षता वाली इस समिति की अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में भत्तों के संबंध में सरकार का निर्णय व्यय विभाग के दिनांक 06.07.2017 के संकल्प सं. 11-1/2016-आईसी द्वारा जारी किया गया है।

5. राष्ट्रपति नई उच्चतर योग्ताएं हासिल करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के विषय पर यह निर्णय लेते हैं कि मौजूदा सभी आदेशों/का.ज्ञा/अनुदेशों/दिशा-निर्देशों के अधिक्रमण में, सरकारी कर्मचारी द्वारा उसके जॉब से सीधे तौर पर जुड़े क्षेत्र में नई योग्यता हासिल करने के लिए पाठ्यक्रमों के लिए निम्नलिखित एकबारगी एकमुश्त दरें प्रोत्साहन के रूप में अनुमेय होंगी:

क्र.सं.	योग्यता	राशि (रु.)
1.	पीएचडी या समकक्ष	30,000
2.	एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा या समकक्ष	25,000
3.	एक वर्ष या कम अवधि के लिए स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा या समकक्ष	20,000
4.	तीन वर्षों से अधिक अवधि के डिग्री/डिप्लोमा या समकक्ष	15,000
5.	तीन वर्ष या इससे कम अवधि के डिग्री/डिप्लोमा या समकक्ष	10,000

.....2/-

6. ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो किसी संगठन/मंत्रालय/विभाग की कार्यात्मक अपेक्षा की दृष्टि से प्रत्यक्ष रूप से संगत हैं लेकिन उपरोक्त पैरा 5 में उल्लिखित किसी भी श्रेणी में शामिल नहीं किए गए हैं, को संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा संबंधित आईएफडी के परामर्श से उपरोक्त पैरा 5 के क्रम सं. 4 या 5 के अधीन विशेष रूप से अधिसूचित किया जाएगा।

7. मंत्रालय/विभाग अपने पाठ्यक्रमों का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि उपरोक्त योग्यताओं के संबंध में प्रोत्साहन प्रदान करना नीचे पैरा 8 में निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने के अध्यधीन होगा। उपरोक्त सूचीबद्ध योग्यताओं के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा अपने आंतरिक वित्त प्रभाग के परामर्श से विचार किया जाएगा और पैरा 8 के अधीन निर्धारित किए गए मापदंड पूरे कर लिए गए हैं, यह सुनिश्चित करने के बाद ही आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे।

8. **<u>7वें सीपीसी के लागू होने की स्थिति में नई योग्यता हासिल करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए मापदण्ड/दिशानिर्देश, निम्नलिखित हैं:-</u>**

8.1 यह प्रोत्साहन उन योग्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं होगा जो उस पद के भर्ती नियमों में अनिवार्य या वांछनीय योग्यताएं निर्धारित की गई हैं।

8.2 केवल शैक्षणिक या साहित्यिक विषयों में उच्चतर योग्यता प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का प्रोत्साहन प्रदान करने की अनुमति नहीं होगी। योग्यता हासिल करना, उसके द्वारा धारित पद या अगले उच्चतर पद पर निष्पादित किए जाने वाले कार्यों से सीधे तौर पर जुड़ा होना चाहिए। उस पद के कार्यों एवं प्राप्त योग्यता में सीधा संबंध होना चाहिए और इससे सरकारी सेवक की दक्षता में बढ़ोतरी होनी चाहिए।

8.3 सभी पदों के लिए प्रोत्साहन की मात्रा एक समान होगी, भले ही उनका वर्गीकरण या ग्रेड या विभाग कोई भी हो।

8.4 यह प्रोत्साहन ऐसे मामले में देय नहीं होगा, जहां सरकारी सेवक, सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाता है या वह योग्यता हासिल करने के लिए अध्ययन छुट्टी लेता है।

8.5 सेवा में शामिल होने के बाद हासिल की गई योग्यता के लिए ही प्रोत्साहन दिया जाएगा।

8.6 कोई प्रोत्साहन देय नहीं होगा यदि शैक्षणिक योग्यता में छूट देकर नियुक्ति की गई है। यदि कर्मचारी नियुक्ति के बाद की तारीख में अपेक्षित योग्यता प्राप्त करता है तो कोई प्रोत्साहन देय नहीं होगा।

8.7 प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए पात्र बनाने वाली ऐसी योग्यताएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा गठित संबंधित विनियामक निकायों जैसे एआईसीटीई, भारतीय चिकित्सा परिषद इत्यादि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

8.8 किसी कर्मचारी के करिअर में प्रोत्साहन, अनुवर्ती अनुदानों में न्यूनतम दो वर्ष के अंतराल के साथ अधिकतम दो बार तक ही सीमित होगा।

8.9 सरकारी सेवक को उच्चतर योग्यता प्राप्त करने की तारीख से छह माह के भीतर दावा प्रस्तुत करना चाहिए।

9. दिनांक 01.07.2017 या इसके बाद प्राप्त उपरोक्त योग्यताओं के लिए ही प्रोत्साहन देय होगा।

.....3/-

10. ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 01.07.2017 को या इसके बाद इस का.ज्ञा. जारी होने की तारीख तक नई उच्चतर योग्यता हासिल की है वे भी इस का.ज्ञा. के जारी होने के छह माह के भीतर ये प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए दावा कर सकते हैं।

11. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

12. इस कार्यालय ज्ञापन के हिंदी व अंग्रेज़ी रूप के किसी प्रावधान में विरोधाभास की परिस्थिति में अंग्रेज़ी रूप में वर्णित प्रावधान ही मान्य होंगे।

(राजीव बाहरी)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

प्रति अग्रेषित:-

1. भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक।
2. भारत के उच्चतम न्यायालय के महासचिव।
3. महालेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय।
4. संघ लोक सेवा आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केंद्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/नीति आयोग।
5. सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें।
6. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (एआईएस अनुभाग)/जेसीए/प्रशा. अनुभाग।
7. सचिव, राष्ट्रीय परिषद जेसीएम (कर्मचारी पक्ष), 13 सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
8. जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य/विभागीय परिषद।
9. प्रशिक्षण विभाग/प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग/पेंशन एवं पेंशनभागी कल्याण विभाग/पीईएसबी से सभी अधिकारी/अनुभाग।
10. संयुक्त सचिव (कार्मिक), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय।
11. अपर सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय।

(राजीव बाहरी)
अवर सचिव, भारत सरकार